क्लास सदस्यों को नोटिस संदर्भ: क्लास कार्रवाई का लंबित होना और प्रस्तावित निपटान के विषय में सुनवाई का नोटिस। इस नोटिस से आपके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें।

D'sa और अन्य बनाम Amber India Corp. और अन्य

San Francisco Superior Court मुकदमा नं. CGC-15-544578

कृपया इस नोटिस को ध्यान से पढ़ें।
इस नोटिस से आपके कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
आप इस निपटान से धनराशि पाने के अधिकारी हो सकते हैं।

यदि आप क्लास कार्रवाई के इस निपटान में भागीदारी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और निपटान को न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निपटान निधियों में आपका हिस्सा आपको डाक से भेज दिया जाएगा।

कृपया इस विषय में इस न्यायालय अथवा न्यायालय लिपिक से संपर्क न करें।

आगे दर्शाया गया पाठ न्यायालय का निष्कर्ष नहीं है। इसे पक्षकारों के किसी भी दावे या बचाव के गुण-दोष के विषय में न्यायालय के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं समझा जाना चाहिए।

I. परिचय और सार

आपको यह सूचित किया जाता है कि Mario Diaz, Francisco Romero और Jorge Valdivia नामक वादियों ने 9 मार्च, 2015 को अपने Amber India Corporation, Amber India Commercial Inc., Amber India Enterprise, Inc., Vijay Kumar, और Vijay Bist ("Amber India") नामक नियोक्ताओं के विरुध क्लास कार्रवाई मुकदमा दायर किया है। इन वादियों ने Bay Area में Amber India फेमिली रेस्टोरेन्टों में गैर-छूट प्राप्त कर्मचारियों के रूप में Amber India के लिए कार्य किया था और उनका मुख्यतः यह दावा है कि Amber India ने California कानून के अनुसार उन्हें समुचित भोजन और अपेक्षित समयावधि के लिए विश्राम उन्हें हमेशा उपलब्ध नहीं कराया और इसी के परिणामस्वरूप उन्हें अपने कार्य की संपूर्ण अवधि का भुगतान नहीं किया गया, सेवाएं समाप्त किए जाने के समय देय समस्त मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया गया

और उनकी मजदूरियों के पर्याप्त विवरण भी उन्हें नहीं दिए गए। वादियों ने 27 फरवरी, 2011 से 18 जून, 2015 तक की अवधि ("क्लास अवधि") के दौरान California में कार्यरत किसी भी Amber India फेमिली रेस्टोरेंट में काम करने वाले अन्य वर्तमान अथवा पूर्व गैर छूट-प्राप्त कर्मचारियों की ओर से भी इसी प्रकार के दावे करने के लिए यह क्लास कार्रवाई मुकदमा दायर किया है। Amber India ने वादियों द्वारा कथित कोई भी उल्लंघन किए जाने की बात स्वीकार नहीं की है, और इसकी बजाए इस विषय में किसी भी देनदारी से इनकार किया है तथा इस नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस मामले का निपटान करके आगे और खर्च से बचने तथा मुकदमे की कार्यवाही रोके जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

इस नोटिस का उद्देश्य आपको यह सूचित करना है कि निपटान करार और इसके अधीन आपके अधिकार लंबित हैं। आपको यह नोटिस इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि आप उन गैर-छूट प्राप्त कर्मचारियों में शामिल हैं, जिन्होंने क्लास अवधि के दौरान Amber India फेमिली रेस्टोरेंटों में से किसी एक में काम किया था। यदि आप स्वयं को इससे बाहर रखे जाने के विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो आपको निपटान क्लास का सदस्य माना जाएगा और आपको भुगतान भेजा जाएगा। इस नोटिस में ये अनुदेश दिए गए हैं कि आप कैसे स्वयं को निपटान से बाहर रखे जाने और भुगतान प्राप्त न करने के विकल्प का चयन कर सकते हैं, कोई कार्रवाई न करने से आपको निपटान भुगतान की राशि भेजी जाएगी, और/या अन्य कार्रवाई की जाएगी। यदि आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप अपनी ओर से किए गए दावों को रिलीज़ करेंगे और आपको निपटान निधि का हिस्सा भेजा जाएगा।

कृपया यह समझ लीजिए कि यह आपके विरुध किसी मुकदमे का नोटिस नहीं है। आपके विरुध कोई मुकदमा नहीं किया गया है। आपको इस नोटिस का जवाब देने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया इस नोटिस को दोबारा पढ़िए और इसमें दर्शाए गए विकल्पों पर ध्यान से विचार कीजिए।

II. क्लास वकील

वादियों और निपटान क्लास की ओर से वकालत कर रहे हैं Hoyer & Hicks नामक लॉ फर्म के अटर्नी, जिनकी संपर्क जानकारी इस प्रकार है:

Richard A. Hoyer
Ryan L. Hicks
Hoyer & Hicks
4 Embarcadero Center, Suite 1400
San Francisco, California 94111
415.766.3539
www.hoyerlaw.com

यदि आप निपटान क्लास के सदस्य बने रहने के विकल्प का चयन करते हैं तो आपका प्रतिनिधित्व इन्हीं वकीलों द्वारा किया जाएगा। यदि आप यह चाहते हैं कि आपके वकील आपका प्रतिनिधित्व करें, तो आप अपने खर्च पर कोई वकील नियुक्त कर सकते हैं।

III. प्रमाणन और उसके विषय में सुनवाई

California कानून के अधीन क्लास कार्रवाइयों के अनुमोदन की प्रक्रियाओं के अनुसार न्यायालय ने इस मुकदमे के प्रस्तावित निपटान को प्रारंभिक अनुमोदन प्रदान किया और \ के लिए निपटान के अंतिम अनुमोदन के विषय में सुनवाई की तारीख निर्धारित की Friday February 16, 2018 at 2 P.M. यह सुनवाई 400 McAllister Street, San Francisco, CA 94102 में स्थित San Francisco Superior Court के डिपार्टमेंट ___ में होगी। आप निपटान के विषय में अपने विचार सुनवाई के दिन या उससे पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन या तो क्लास सदस्य बने रहने और भुगतान प्राप्त करने या इस कार्रवाई से बाहर रखे जाने के विकल्प का चयन करने के अधिकार सहित अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस नोटिस में उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन करके इनमें से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं; और फिर से, सुनवाई में आपके उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने इस नोटिस को अनुमोदित करते हुए इसकी एक प्रति क्लास के सभी सदस्यों के साथ आपको भी उपलब्ध कराए जाने का आदेश दिया था। न्यायालय ने इस मुकदमे में किसी दावे या बचाव के गुण-दोष के विषय में कोई निर्णय पारित नहीं किया है।

IV. इस नोटिस को प्राप्त करने वाले लोग और पते में बदलाव

यह नोटिस क्लास सदस्यों के रूप में पहचाने गए सभी लोगों के अंतिम ज्ञात पतों पर यह नोटिस डाक से यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जा रहा है कि सभी क्लास सदस्यों को अपने अधिकारों

के संरक्षण का पर्याप्त अवसर दिया जाए, और पते के सत्यापन के उपाय किए गए हैं। यदि आप उस लिफाफे में सूचीबद्ध नाम या पते में कोई बदलाव करना चाहते हैं, जिसमें यह नोटिस भेजा गया था तो कृपया वह जानकारी इस नोटिस के साथ प्रपत्र क के रूप में संलग्न पते में बदलाव प्रपत्र में उपलब्ध कराएं।

V. मुकदमे का विवरण

वादियों ने स्वयं अपनी ओर से और Amber India रेस्टोरेंट के अन्य कर्मचारियों की ओर से यह दावा दाखिल किया कि Amber India ने California में इस मुकदमे की संगत अवधि के दौरान अपने प्रति घंटा गैर-छूट प्राप्त कर्मचारियों को राज्य कानून के अनुसार समुचित भोजन और अपेक्षित समयावधि के लिए विश्राम उपलब्ध नहीं कराया। वादियों का यह आरोप है कि भोजन और विश्राम की अवधि प्रदान न किए जाने के परिणामस्वरूप Amber India ने प्रति-घंटा गैर-छूट प्राप्त कर्मचारियों को उनकी अर्जित मजदूरी के सटीक विवरण नहीं दिए और California Labor Code के अन्य संबंधित उपबंधों के भी उल्लंघन किए।

Amber India ने वादियों और उनके वकील से बातचीत के द्वारा इस मामले का निपटान करने और इन मुद्दों के विषय में किसी भी शंका को दूर करने के विकल्प का चयन किया है। तदनुसार, और न्यायालय के अनुमोदन के अधीन, पक्षकारों ने निपटान करार किया है, जिसमें Amber India Enterprise, Inc.; Amber Culinary Service, Inc.; Amber India Commercial, Inc.; Amber Foods International, Inc.; Amber Foods Enterprise, Inc. और Amber India Corporation के अपने/संचालित रेस्टोरेंटों सहित Amber India फेमिली ऑफ रेस्टोरेन्ट्स के किसी भी रेस्टोरेंट, जिनमें San Francisco, Mountain View, Los Gatos और San Jose में स्थित Amber India रेस्टोरेंट; Palo Alto और San Francisco में स्थित Amber Dhara रेस्टोरेंट; Amber Café, और Amber Club शामिल हैं, में 27 फरवरी, 2011 से 18 जून, 2015 तक की अवधि के दौरान काम करने वाले वर्तमान और पूर्व प्रति घंटा गैर-छूट प्राप्त कर्मचारियों की क्लास के प्रमाणन का प्रावधान है।

VI. प्रस्तावित निपटान की प्रमुख शर्तें

वादियों और कंपनी ने स्वेच्छा से यह निपटान करार किया है। इस निपटान के माध्यम से न तो Amber India और न ही उनके किसी सहयोगी या कर्मचारियों ने किसी देनदारी या गलत कार्य को स्वीकार किया है। इस निपटान की कुल अधिकतम धनराशि $570,000, (पाँच लाख सत्तर हजार डॉलर) है, और इसमें से क्लास वकीलों की न्यायालय द्वारा अनुमोदित फीस और अन्य लागतों, वादियों को क्लास प्रतिनिधि अवार्ड, निपटान प्रशासक की अधिकतम $20,000 की लागतों की धनराशि तथा California Labor and Workforce Development Agency को भुगतान की जाने वाली धनराशि घटाकर शेष राशि का भुगतान उन क्लास सदस्यों को किया जाएगा, जिन्होंने स्वयं को इस निपटान से बाहर रखे जाने के विकल्प का चयन नहीं किया है।

न्यायालय के अनुमोदन के अधीन वादियों और क्लास के अटर्नियों (“क्लास वकील”) को इस मामले में उनकी सेवाओं के लिए पर्याप्त मुआवजे के अनुरूप धनराशि का भुगतान किया जाएगा। कंपनी निपटान निधि में से अधिकतम $190,000 का भुगतान वादी के अटर्नी की फीस के लिए और अधिकतम $10,000 का भुगतान मुकदमे की लागत के लिए करेगी। क्लास सदस्यों को अपने वकीलों को ग अल से मुआवजा नहीं देना होगा।

क्लास वकील को भुगतान के अतिरिक्त, आपकी ओर से यह मुकदमा लाने वाले उपर्युक्त तीनों क्लास प्रतिनिधियों में से प्रत्येक को न्यायालय के अनुमोदन से इस कार्रवाई में प्रत्येक दावाकर्ता को प्राप्त होने वाली धनराशि के अतिरिक्त भी कुछ धनराशि प्राप्त हो सकती है। सभी क्लास सदस्यों की ओर से यह क्लास कार्रवाई मुकदमा चलाने के कार्य में अपनी भूमिका के लिए प्रत्येक वादी को अधिकतम $5,000 की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान करना क्लास सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं होगी – यह भुगतान निपटान निधि से किया जाएगा।

न्यायालय को इस मामले में प्रस्तुत किए गए निपटान करार और अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों की पूर्ण प्रति का निरीक्षण न्यायालय लिपिक कार्यालय (Office of the Court Clerk) में किया जा सकता है और उनकी प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। लिपिक कार्यालय City and County of San Francisco के California Superior Court, 400 McAllister Street, San Francisco, CA 94102 में स्थित है। कृपया अतिरिक्त जानकारियों के लिए इस नोटिस का खंड IX देखें। आप इस मामले में दायर किए गए प्रमुख दस्तावेजों की प्रतियां क्लास काउन्सेल की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं http://www.hoyerlaw.com/Amber-India-settlement-information.php.

इस निपटान से बाहर रखे जाने के विकल्प का चयन न करने वाले प्रत्येक क्लास सदस्य को निपटान निधि से भुगतान प्राप्त होगा। इस निपटान निधि का 90% भाग सभी क्लास सदस्यों में वितरित किया जाएगा और प्रत्येक क्लास सदस्य को किए जाने वाले भुगतान की राशि का निर्धारण उन सप्ताहों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, जितने सप्ताहों तक उस सदस्य ने प्रासंगिक अवधि के दौरान California में Amber India के लिए गैर-छूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में काम किया था। विशिष्ट रूप से जो क्लास सदस्य निपटान से बाहर रखे जाने के विकल्प का चयन नहीं करता है, उसी सदस्य को लगभग <<EstimatedAmount>> उन सप्ताहों की संख्या के आधार पर भुगतान प्राप्त होगा, जितने सप्ताहों तक उस सदस्य ने क्लास अवधि (27 फरवरी, 2011 से 18 जून, 2015 तक) के दौरान California में Amber India के लिए प्रति घंटा गैर-छूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में काम किया था। कंपनी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपने प्रासंगिक अवधि के दौरान गैर-छूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में <<WorkWeeks>> सप्ताहों तक काम किया था। अतः, यदि न्यायालय अनुरोध के अनुसार अटर्नी की फीस की समस्त धनराशि और लागतों, वादियों के लिए अधिक धनराशि, California Labor and Workforce Development Agency को किए जाने वाले भुगतान को अनुमोदित कर देता है तो आपको प्राप्त होने वाले भुगतान की अनुमानित धनराशि (कर कटौती से पूर्व) कम से कम <<EstimatedAward>> होनी चाहिए।

निपटान निधि की शेष 10% धनराशि का वितरण क्लास सदस्यों को उनकी सेवाओं की समाप्ति के समय उन्हें न दी गई मुजदूरी के भुगतान में देरी के लिए दंड के रूप में किया जाएगा और इस राशि का बराबर वितरण उन सभी क्लास सदस्यों के बीच किया जाएगा, जिन्होंने प्रतिवादियों के लिए कार्य किया और जिनका कार्यकाल 27 फरवरी, 2012 और प्राथमिक अनुमोदन की तारीखों के बीच समाप्त हुआ October 25, 2017। कंपनी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आप धनराशि के इस भाग से भुगतान पाने के पात्र <<(हैं(are)/ नहीं हैं (are not)>>)। (IF ELIGIBLE INSERT SENTENCE: निपटान के भुगतान में विलंब के लिए दंड की धनराशि से आपको प्राप्त होने वाले भुगतान की अनुमानित धनराशि कम से कम होगी [MERGE WTP PAYMENT AMOUNT](Your estimated payment for the waiting time penalties portion of the settlement is estimated to be at least [MERGE WTP PAYMENT AMOUNT])) पक्षकारों ने यह प्रस्ताव किया है कि नब्बे (90) दिनों की अवधि में कैश न कराए गए चैकों की निधि का वितरण The Impact Fund को किया जाएगा, जो कि कम मजदूरी पाने वाले मजदूरों के नियोक्ताओं के विरुध मुकदमे लड़ने वाला गैर-लाभकारी संगठन है (www.impactfund.org) यदि $10,000 से अधिक धनराशि के निपटान चैक कैश नहीं कराए जाते हैं तो उस निधि का वितरण उन क्लास सदस्यों को किया जाएगा, जिन्होंने अपने चैक कैश कराए थे।

मजदूरी रोके जाने और कटौतियों के अपेक्षित उपबंधों के अधीन इस भुगतान का कुछ भाग भुगतान न की गई मजदूरी माना जाएगा, और इसीलिए वास्तव में भुगतान की जाने वाली धनराशि निपटान निधि की कुल धनराशि से कम होगी। विशिष्ट रूप से कंपनी इस भुगतान के 50% भाग की जानकारी संगत सरकारी निकायों को मजदूरी के भुगतान के रूप में देगी, और शेष 50% भाग को गैर-मजदूरी व्यय माना जाएगा। कंपनी लागू कानून के अनुसार अपेक्षित धनराशि को रोकने या उसकी कटौती करने का अपना अधिकार सुरक्षित करती है तथा कंपनी इस करार के अनुसार किए जाने वाले भुक्तानो की जानकारी कानून के अनुसार Internal Revenue Service और अन्य संगत सरकारी निकायों (यदि कोई हों) को देगी।

यदि आपका यह मानना है कि आपके कार्यकाल के सप्ताहों की जानकारी सही नहीं है तो आपको अपनी असहमति के कारणों का लिखित विवरण देना होगा और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनसे यह पता चले कि आपने 27 फरवरी, 2011 से 18 जून, 2015 तक की अवधि के दौरान प्रति घंटा आधार पर कितने सप्ताहों तक काम किया था (जैसे कि आपके पेस्टब और मजदूरी विवरण) और उन्हें आगे दर्शाए गए पते पर निपटान प्रशासक (Settlement Administrator) को डाक से भेजना होगा। आपके विवरण और दस्तावेजों पर विचार किए जाने के लिए, उन्हें January 7, 2018 तक पोस्टमार्क किया जाना अनिवार्य है। पक्षकार इन विवादों की समीक्षा करेंगे और कंपनी के रिकार्डों में दिए गए दस्तावेजों से तुलना करके उनका समाधान करने का

प्रयास करेंगे। कृपया ध्यान रखें कि केवल 27 फरवरी, 2011 से लेकर 18 जून, 2015 तक की अवधि के दौरान घंटेवार किए गए साप्ताहिक कामों का गणना की जाती है। उस समयावधि के बाद किए गए अथवा वैतनिक छूट के पदों में किए गए साप्ताहिक काम को नहीं गिना जाता है, इसलिए यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें Amber India के लिए*किया* गया साप्ताहिक काम इसकी गणना में शामिल हो।

आप इस व्यवस्था के अनुसरण में किए गए किसी भी भुगतान पर लगे किसी भी कर के लिए जिम्मेदार होंगे। न तो क्लास के प्रतिनिधि, क्लास काउंसेल, और न ही Amber India इस निपटान या इसमें आपकी भागीदारी के कर परिणामों के संबंध में कोई प्रस्तुतीकरण देते हैं, तथा आप इस नोटिस के अपने जवाब के संबंध में अपने स्वयं के खर्च पर कर पेशेवर से कर संबंधी सलाह ले सकते हैं।

केवल क्लास की सदस्यता बरकरार रखने वाले व्यक्ति ही इस निपटान में भागीदारी करने तथा इस करार के अंतर्गत भुगतान पाने के हकदार होंगे। वे सभी व्यक्ति निर्णय के अधीन होंगे जो अपना विकल्प वापस नहीं लेते हैं। दूसरी ओर, क्लास के वे सदस्य जो इस निपटान से बाहर होने का विकल्प चुनते हैं, वे इस निपटान के अनुसरण में मिलने वाला भुगतान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे, न ही वे निर्णय और संबद्ध छूट या संबंधित दावों की रिलीज़ द्वारा बाध्य होंगे।

VII. क्लास के सदस्यों के अधिकार और विकल्प

आपको यह नोटिस इसलिए मिला है क्योंकि कंपनी के रिकार्डों से पता चलता है कि आप सशर्त प्रमाणित क्लास के सदस्य हैं। क्लास के वर्तमान सदस्यों के पास दो विकल्प हैं:

यदि आप निपटान में भाग लेना और भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं:

आप निपटान क्लास का सदस्य बनने और निपटान का भाग प्राप्त करने का चुनाव कर सकते हैं। आपको निपटान क्लास का सदस्य बने रहने के लिए तथा किसी भी समय न्यायालय द्वारा मंज़ूरी दिए जाने पर निपटान के अपने भाग को डाक द्वारा प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। **यदि आप कुछ नहीं करते हैं, तो आपको निपटान भुगतान मिलेगा तथा आप निपटान की शर्तों से बंधे होंगे**

आप (क) इस मुकदमे में अपना स्वयं का अटर्नी लेकर अपने स्वयं के खर्च पर भी भागीदारी कर सकते हैं (यदि आप यह विकल्प चुनते हैं, तो आप किसी अटर्नी की फीस या अपने अटर्नी द्वारा किए गए खर्चों के लिए जिम्मेदार होंगे); और/या (ख) उपर्युक्त-सूचीबद्ध पतों पर January 7, 2018 से पहले निपटान प्रशासक के समक्ष निपटान पर लिखित आपत्तियाँ डाक द्वारा पेश कर सकते हैं। क्लास काउंसेल इन आपत्तियों को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। विलंब से प्राप्त आपत्तियां मान्य नहीं होंगी।

यदि आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं(*जैसे*, विकल्प छोड़ने में असफल होते हैं), तो आप निपटान क्लास में बने रहेंगे तथा निपटान का अपना भुगतान प्राप्त करेंगे, आप Amber India के प्रति क्लास अवधि के दौरान भोजन और विश्राम अवधियों से संबंधित निर्मुक्त दावे (नीचे देखें) हमेशा जारी करेंगे, तथा आप इस निपटान के संबंध में जारी निर्णय के अधीन होंगे।

यदि आप विकल्प नहीं छोड़ते हैं और अंतत: न्यायालय द्वारा निपटान को मंज़ूरी मिल जाती है, तो आपकी ओर से मान लिया जाएगा कि आपने Amber India को भोजन और/या विश्राम अवधि प्रदान करने या किसी संबध लाभ या उपचार प्रदान करने में असफल होने के किसी ज्ञात या अज्ञात दावों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है।

खासतौर पर, यदि आप विकल्प नहीं छोड़ते हैं और अंतत: न्यायालय द्वारा निपटान को मंज़ूरी मिल जाती है, तो आपके संबंध में यह मान लिया जाएगा कि आपने Amber India और इसके सभी पिछले और वर्तमान सहयोगियों, निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी प्रकृति या किस्म के, चाहे ज्ञात हों या अज्ञात, पर्याप्त भोजन और/या विश्राम अवधियाँ प्रदान करने या उनके बदले में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने में किसी वास्तविक या कथित असफलता पर आधारित किसी या सभी दावों तथा सभी व्युत्पन्न दावों से सदा से लिए मुक्त और स्वतंत्र कर दिया है, जिसमें इनके लिए दावे भी शामिल हैं: (A) शिकायत के आरोपों के अनुसार नियमित, समयोपरि, और/या प्रीमियम मजदूरी के भुगतान में असफलता; (B) वेतन-पंजी, वेतन रिकार्ड बनाना, और/या वेतन विवरण मदों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफलता; (C) अंत में या अन्यथा देय मजदूरी का समय पर भुगतान करने में असफलता; (D) तथा ऊपर शामिल न की गई सीमा तक, क्लास अवधि के दौरान कथित छूट गई और/या गैर-अनुपालन वाली भोजन और विश्राम अवधियों के संबंध में मुकदमे में दायर तथ्यों पर आधारित कोई दावे (27 फरवरी, 2011 से 18 जून, 2015 तक)। खासतौर पर, इस रिलीज के परिणामस्वरूप सभी दावों से छूट मिल जाएगी जिनमें किसी सीमा के बिना अज्ञात दावे, माँगें, अधिकार, देयताएं और किसी भी प्रकृति और वर्णन वाले वाद के कारण जैसे Amber India और उनके किसी संबद्ध व्यक्तियों या कंपनियों के विरुध California में क्लास सदस्य के नियोजन के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की राहत के लिए किसी सीमा के बिना सांविधिक, संवैधानिक, ठेकागत या सामान्य कानूनी दावे, चाहे ज्ञात हो या अज्ञात, चाहे छिपाए हों या गुप्त शामिल हैं, जैसे (क) (i) पर्याप्त भोजन और/या विश्राम अवधियाँ उपलब्ध कराने में असफलता; (ii) प्रीमियम या अन्य मजदूरियों का भुगतान करने में असफलता; (iii) वेतन-पंजी या वेतन के रिकार्ड बनाना या वेतन विवरण मदों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफलता; तथा (iv) बर्खास्तगी या अन्यथा के कारण मजदूरी का समय पर भुगतान करने में असफलता; (ख) किसी सीमा के बिना California Labor Code की धारा 201, 201.3, 202, 203, 226, 226.7, 512 & 1194, California Labor Code की धारा 2698 *और आगे*,

California Business and Professions Code की धारा 17200 *और आगे,* California Industrial Welfare Commission Wage Order (किसी सीमा के बिना मजदूरी आदेश 4 सहित), तथा federal Fair Labor Standards Act के अंतर्गत दावों सहित किसी संविधि या विनियम या अन्य किसी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत उपरोक्त उप-धारा (क) में शामिल किसी भी दावों के लिए दण्ड या अन्य कोई उपचार; (ग) उप-धारा (क) में शामिल किसी दावे के लिए आदेशार्थ राहत, प्रत्यर्पण, वापस करना, लेखांकन, घोषित राहत या अन्य समान राहत; (घ) उप-धारा (क) में शामिल किसी भी दावे के लिए ब्याज, खर्च, या अटर्नी की फीस के कोई या सभी दावे, जिसमें किसी सीमा के बिना California Labor Code की धारा 218.5, 1194 & 2698 *और आगे* तथा California Code of Civil Procedure की धारा 1021.5 शामिल है; तथा (ङ) ऊपर शामिल न की गई सीमा तक, मुकदमे में दायर तथ्यों पर आधारित आरोपों से उत्पन्न सभी दावे।

कथित तौर पर छूट गई और/या गैर-अनुपालन वाली भोजन और विश्राम अवधियों के आधार पर उपरिलिखित रिलीज द्वारा निर्मुक्त उन दावों के संबंध में तथा केवल ऐसे दावों के संबंध में (उदाहरण के लिए, अनुचित बर्खास्तगी, उत्पीड़न, या कामगारों की क्षतिपूर्ति के दावों के विरोध में), निपटान क्लास के सभी सदस्य, *i.e.*, निपटान का विकल्प न छोड़ने वाले लोगों के संबंध में माना जाएगा, तथा निर्णय की कार्यवाही द्वारा यह माना जाएगा कि उन्होंने California Civil Code की धारा 1542 के अधिकारों और लाभों का स्पष्ट रूप से अधित्याग कर दिया है जिसमें दिए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

सामान्य रिलीज उन दावों के संबंध में नहीं होती है जिनमें लेनदार रिलीज लागू करते समय अपने पक्ष में होने की जानकारी या संदेह नहीं रखता है,
जिसकी यदि उसे जानकारी हो, तो इससे देनदार के साथ उसके निपटान पर निस्संदेह प्रभाव पड़ जाएगा।

मूलभूत रूप से, यदि आपको इस निपटान से भुगतान प्राप्त होता है, तो आप Amber India रेस्तरां में 27 फरवरी, 2011 से 18 जून, 2015 तक की अवधि के दौरान दिहाड़ी कर्मचारी के रूप में काम करने के समय किसी छूट गई भोजन या विश्राम अवधियों पर आधारित किसी भी दावों को छोड़ देंगे।

<u>यदि आप निपटान में भाग नहीं लेना चाहते हैं और भुगतान नहीं चाहते हैं:</u>

यदि आप इस निपटान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको प्रशासक को सूचित करते हुए कि आप विकल्प छोड़ना चाहते हैं, निपटान क्लास का “विकल्प छोड़” देना होगा। यदि आप इस

विकल्प को छोड़ते हैं, तो आप प्रतिबंधों के कानून और लागू सांविधिक, सामान्य कानून या अन्य प्रतिबंधों के अधीन छूट गई भोजन और विश्राम अवधियों और संबंधित दावों के लिए Amber India के विरुध अपने बलबूते पर अलग-से मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार, यदि आप विकल्प छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो आपको निपटान पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुकदमे और इस व्यवस्था का विकल्प छोड़ने के लिए, आपको सरल भाषा में व्यवस्था प्रशासक को यह उल्लेख करते हुए पत्र भेजना होगा कि आप इस व्यवस्था का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं और भुगतान प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। आपको पत्र पर अपना नाम, पता, फोन नंबर और अपनी Social Security Number के अंतिम चार अंक, सम्मिलित करने होंगे तथा अपने हस्ताक्षर करने भी जरूरी होंगे। व्यवस्था प्रशासक का पता यह है:

D'sa v Amber India Settlement Administrator
c/o Rust Consulting, Inc. - 5776
P.O. Box 2396 Faribault, MN 55021-9096

विकल्प छोड़ने की अंतिम तारीख यह है January 7, 2018। अंतिम तारीख फाइनल है, तथा January 7, 2018 से पहले पोस्टमार्क न किए गए प्रपत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। **यदि आप निपटान का विकल्प छोड़ते हैं, तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा।**

VIII. निपटान पर सुनवाई

न्यायालय Friday February 16, 2018 at 2 P.M पर इस निपटान को मंज़ूरी देने का निर्णय लेने के लिए सुनवाई करेगा। यह सुनवाई 400 McAllister Street, San Francisco, California 94102, जज Curtis Karnow प्रिजाइडिंग में स्थित San Francisco County Superior Court के --------------विभाग में होगी। इस सुनवाई में उपस्थिति पूरी तरह से वैकल्पिक है; सुनवाई में उपस्थिति बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, तथा निपटान का हिस्सा बनने या मुकदमे का विकल्प छोड़ने के लिए आपका सुनवाई के लिए आना जरूरी नहीं है।

IX. इस कार्रवाई में दायर कागज़ातं की जाँच

यह नोटिस कार्रवाई का पूरी तरह वर्णन नहीं करता है। इस कार्रवाई से जिन लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, उन जन-सदस्यों सहित लेकिन उन तक ही सीमित नहीं, लोग निम्नलिखित पते पर न्यायालय क्लर्क कार्यालय में फाइलें (पूर्ण व्यवस्था अनुबंध सहित) देख सकते हैं:

Clerk of Court
San Francisco Superior Court
400 McAllister St.

San Francisco, CA 94102

अंतिम सुनवाई तक, आप वेब पते पर क्लास काउंसेल की वेबसाइट पर इस केस के मुख्य दर्ज कागज़ातों की प्रतियाँ भी देख सकते हैं: http://www.hoyerlaw.com/Amber-India-settlement-information.php

कृपया इस कार्रवाई के संबंध में न्यायालय या न्यायालय क्लर्क कार्यालय से प्रश्न पूछने के लिए कॉल न करें या लिखें नहीं।